सूर्योपासपना. सीवान सदर अनुमंडल में 37 व महाराजगंज में 14 घाटों की हुई पहचान

खतरे वाले छठ घाटों पर नहीं दी जायेगी पूजा करने की अनुमति, 51 संवेदनशील

तैयारी तेज

- बुजुर्ग व दिव्यांग व्रतियों के लिए इ रिक्शा, घाटों पर मेडिकल टीम व एंबुलेंस की रहेगी व्यवस्था

प्रतिनिधि, सीवान

छठ महापर्व पर घाटों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है. जिले में 51 छठ घाट संवेदनशील और खतरनाक चिह्नित किये गये हैं. इनमें सीवान सदर अनुमंडल के 37 और महाराजगंज के 14 घाट शामिल हैं. पानी की गहराई, बढ़ते जलस्तर और अन्य वजहों से इन घाटों पर हादसे का खतरा है. खासकर दाहा और सरयू नदी के किनारे पानी बढ़ने से कई घाटों पर खतरा बना हुआ है. ऐसे घाटों पर बैरिकेडिंग की जायेगी और गहरे पानी की सीमा बताने के लिए बल्ले पर लाल झंडे लगाये जायेंगे. किसी घाट पर खतरा अधिक होने पर वहां छठ पूजा की अनुमति नहीं दी जायेगी. प्रशासन लोगों से दूसरे सुरक्षित घाटों पर अर्घ्य देने की अपील करेगा. जिले में हर साल छठ के दौरान बड़ी संख्या में लोग परिवार के साथ घाटों पर पहुंचते हैं. ऐसे में बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती होती है. इसे देखते हुए जिलाधिकारी विजय प्रकाश मीणा ने अधिकारियों को घाटों पर जरूरी सुविधाएं तीन दिनों के भीतर दुरुस्त करने का निर्देश दिया है. दाहा नदी पुल घाट, शिवव्रत साह घाट, पंचमंदिरा घाट, शास्त्री नगर घाट, नवलपुर घाट, महादेवा घाट और श्रीनगर घाट सहित भीड़ वाले घाटों पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है.



गांधी मैदान स्थित पोखरा घाट.

फिसलन भरी सीढ़ियों से मिलेगी राहत, रास्ते भी होंगे दुरुस्त

घाटों पर जाने वाले लोगों को गंदगी और फिसलन से परेशानी नहीं हो, इसके लिए सफाई करायी जायेगी. सीढ़ियों पर जमी काई हटायी जायेगी और चूना व ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव होगा. कई घाटों पर पानी तक पहुंचने के रास्ते ऊबड़-खाबड़ और ढलान वाले हैं. ऐसे रास्तों को भी ठीक कराया जायेगा, ताकि बुजुर्गों और महिलाओं को उतरने-चढ़ने में परेशानी नहीं हो. महिलाओं के कपड़े बदलने के लिए चेंजिंग रूम बनाये जायेंगे. घाटों और वहां तक पहुंचने वाले रास्तों पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था होगी. घर से घाट तक पहुंचने में बुजुर्गों और दिव्यांग व्रतियों को होने वाली परेशानी को देखते हुए ई-रिक्शा की व्यवस्था की जायेगी. इससे उन्हें लंबी दूरी पैदल तय नहीं करनी पड़ेगी. सीवान सदर और महाराजगंज के अधिकारियों को इसके लिए जरूरी इंतजाम करने को कहा गया है. छठ के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए समाहरणालय का मुख्य द्वार भी खुला रखा जायेगा.

रेलवे ढाला या लाइन पार करते समय पुलिस की रहेगी कड़ी निगरानी

रेलवे ढाला या रेलवे लाइन पार कर घाट जाने वाले रास्तों पर पुलिस और दंडाधिकारी तैनात रहेंगे. जरूरत के अनुसार जीआरपी और आरपीएफ के जवान भी लगाये जायेंगे. इससे अर्घ्य देने जाते समय रेलवे लाइन पार करने वाले लोगों की सुरक्षा पर नजर रखी जा सकेगी. छठ के दौरान शहर के प्रमुख रास्तों पर वाहनों की आवाजाही नियंत्रित रहेगी. 15 नवंबर को दोपहर दो बजे और 16 नवंबर को रात 12 बजे से गोपालगंज मोड़, जेपी चौक, बबुनिया मोड़, कागजी मुहल्ला, शिवव्रत साह और श्रीनगर मोड़ सहित प्रमुख स्थानों पर बैरिकेडिंग और ड्रॉप गेट लगाये जायेंगे. इन जगहों पर पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे. दोनों दिन शहर में नो एंट्री की अवधि भी बढ़ायी जायेगी. इससे घाटों की ओर जाने वाले रास्तों पर वाहनों की भीड़ कम रखने और श्रद्धालुओं को सुरक्षित आवागमन में मदद मिलेगी.

तबीयत बिगड़ी, तो घाट पर ही मिलेगी प्राथमिक चिकित्सा

अर्घ्य के दौरान किसी व्रती या श्रद्धालु की तबीयत बिगड़ने पर इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा. प्रमुख घाटों पर बनाये जाने वाले प्रशासनिक कैंपों में डॉक्टर, पारा मेडिकल कर्मी और जीवनरक्षक दवाएं उपलब्ध रहेंगी. जरूरत पड़ने पर मरीज को अस्पताल पहुंचाने के लिए एंबुलेंस भी तैयार रहेगी. सदर अस्पताल और सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी 24 घंटे डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की मौजूदगी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है. जिला नियंत्रण कक्ष के पास भी एंबुलेंस तैनात रहेंगी. घाटों तक पहुंचने वाले रास्तों पर बिजली के लटकते और खुले तारों की जांच होगी. जर्जर तारों को बदला जायेगा और खुले तारों पर कवर लगाया जायेगा. ट्रांसफॉर्मर के आसपास घेराबंदी करायी जायेगी. प्रमुख घाटों पर बिजलीकर्मियों की तैनाती होगी. उनके नाम और मोबाइल नंबर भी सार्वजनिक किये जायेंगे, ताकि बिजली से जुड़ी कोई समस्या होने पर लोग तत्काल सूचना दे सकें. पूजा पंडालों में बिजली कनेक्शन देने से पहले सुरक्षा की जांच भी की जायेगी.

भीड़ में फंसने पर कैंप से मिलेगी मदद

घाटों पर प्रशासनिक कैंप बनाये जायेंगे, जहां से लोगों को जरूरी सूचनाएं दी जायेंगी. माइक के माध्यम से भीड़ को नियंत्रित करने और लोगों को रास्ता बताने की व्यवस्था होगी. पूजा समितियों को भी बिना अनुमति अलग से शिविर लगाने की अनुमति नहीं होगी. प्रशासन की कोशिश है कि घाटों पर पहुंचने से लेकर अर्घ्य देकर सुरक्षित घर लौटने तक व्रतियों और उनके परिजनों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े.

मैरवा में बंद कमरे में मिला बिजलीकर्मी का शव

- गले पर काला निशान मिलने से उलझी मौत की गुत्थी
- एसडीपीओ ने प्रथम दृष्टया आत्महत्या की जतायी आशंका, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

मैरवा. मैरवा धाम के दरौली मार्ग स्थित उपाध्याय छापर मोहल्ले में सोमवार को किराये के मकान के बंद कमरे से बिजली के स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन कार्य में लगे कर्मी का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गयी. मृतक की पहचान वैशाली जिले के सराय थाने के अररी गांव निवासी आलोक सिंह के पुत्र रिशु कुमार सिंह के रूप में हुई है. समाजसेवी सैयद इकबाल अहमद से घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. कमरे का दरवाजा तोड़कर पुलिस अंदर दाखिल हुई. कमरे में पंखे से रस्सी लटकी हुई थी, जबकि शव नीचे पड़ा था. मृतक के गले पर काला निशान भी पाया गया है. हालांकि, पंखे से रस्सी लटकी होने के बावजूद शव नीचे कैसे पहुंचा, यह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है. घटनास्थल पर मृतक का मोबाइल फोन भी मिला, जो कमरे में खड़ा रखा हुआ था. उस पर लगातार फोन आ रहे थे. मोबाइल की स्थिति को देखते हुए पुलिस विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रही है. पुलिस ने मोबाइल फोन को कब्जे में ले लिया है. वहीं, एफएसएल की टीम ने घटनास्थल से कई नमूने एकत्र किये हैं. सूचना पर एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता, थानाध्यक्ष राहुल कुमार, अंचलाधिकारी गौतम कुमार तथा एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची. अधिकारियों की मौजूदगी में शव को कमरे से बाहर निकाला गया. घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गयी. बताया जाता है कि उक्त मकान मैरवा के सिसवा गांव निवासी गुप्ता जी का है, जिसमें कई किरायेदार रहते हैं. दीपावली पर्व को लेकर अधिकांश किरायेदार अपने घर चले गये थे, जबकि रिशु कुमार मकान में ही रह रहा था. बताया जाता है कि दीपावली की रात करीब नौ बजे मकान मालिक ने उसे देखा था. इसके बाद उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसकी जानकारी किसी को नहीं है. इस संबंध में एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है. हालांकि, पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा.



मैरवा में एक किराये के मकान में पंखे से लटका फंदा.

किरायेदारों का पुलिस सत्यापन कराने की उठी मांग : मैरवा में किराये के मकानों में रहने वाले लोगों का पुलिस सत्यापन नहीं होने को लेकर स्थानीय लोगों ने चिंता जतायी है. लोगों का कहना है कि शहर में बड़ी संख्या में लोग किराये के मकानों में रहते हैं, लेकिन मकान मालिकों के पास उनके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है और न ही सभी किरायेदारों का पुलिस सत्यापन कराया जाता है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि मैरवा नगर क्षेत्र के सभी किराये के मकानों में रहने वाले लोगों का अनिवार्य रूप से पुलिस सत्यापन कराया जाये. साथ ही मकान मालिकों को भी किरायेदारों का पूरा विवरण संबंधित थाने में जमा करने का निर्देश दिया जाये, ताकि किसी भी आपराधिक या संदिग्ध गतिविधि पर समय रहते नजर रखी जा सके. हाल में किराये के मकान में बिजली कर्मी का शव मिलने की घटना के बाद यह मांग और तेज हो गयी है.

बिहार लोक सेवा आयोग
15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना- 800001

विज्ञापन सं.-01/2023 से 22/2023 से संबंधित आवश्यक सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि स्वास्थ्य विभाग, बिहार के अधीन राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों में सुपरस्पेशलिटी विभाग के अन्तर्गत सह प्राध्यापक के कुल 36 (छत्तीस) एवं प्राध्यापक के कुल 25 (पच्चीस) रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या-01/2023 से 22/2023 के लिए प्रेषित अधियाचना को, बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती, नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली, 2026, द्वितीय संशोधन नियमावली, 2026 तथा राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा चिकित्सा संस्थान (संकाय की योग्यता) विनियम, 2025 अधिसूचित होने एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के अधिसूचना संख्या 19300, दिनांक 13.10.2023 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था द्वारा रिक्ति की स्थिति परिवर्त्तित होने के आलोक में, स्वास्थ्य विभाग, बिहार द्वारा निरस्त करने के कारण वि.सं. 01/2023 से 22/2023 को रद्द किया जाता है।

ह./-
परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।

छठ पर यात्रियों की सुविधाओं के लिए तैयारी तेज

- डीआरएम ने सीवान जंक्शन का लिया जायजा
- प्लेटफॉर्मों पर बैरिकेडिंग और प्रवेश-निकास के लिए अलग-अलग रास्ते बनाने का निर्देश

प्रतिनिधि, सीवान

छठ महापर्व पर घर लौटने और वापस जाने वाले यात्रियों की संभावित भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने सीवान जंक्शन पर यात्री सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं. सोमवार को पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल के मंडल रेल प्रबंधक आशीष जैन ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीवान जंक्शन का निरीक्षण किया.

इस दौरान उन्होंने भीड़ प्रबंधन, यात्री सुरक्षा और रेल परिचालन से जुड़ी व्यवस्थाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये. डीआरएम ने प्लेटफॉर्मों, यात्री आश्रय केंद्र, टिकट काउंटर, प्रवेश एवं निकास मार्ग, फुट ओवरब्रिज, स्वचालित सीढ़ियों, लिफ्ट, प्रतीक्षालय और वाटर बूथ का जायजा लिया. संभावित भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्लेटफॉर्मों पर पर्याप्त बैरिकेडिंग कराने और प्रवेश तथा निकास के लिए अलग-अलग रास्ते निर्धारित करने का निर्देश दिया. टिकट काउंटरों पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए व्यवस्थित कतारें लगाने और ट्रेनों के आगमन-प्रस्थान की नियमित उद्घोषणा सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया. उन्होंने स्टेशन परिसर में साफ-सफाई बेहतर रखने के लिए शिफ्टवार सफाई कराने तथा भीड़भाड़ वाले स्थानों पर अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती करने को कहा. यात्री आश्रय केंद्र में यात्रियों की सहायता के लिए बनाये गये हेल्प डेस्क, प्राथमिक चिकित्सा बूथ और मिनी कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया. इस दौरान डीआरएम ने यात्रियों से सीधे बातचीत कर उपलब्ध सुविधाओं के बारे में फीडबैक लिया.



सीवान जंक्शन का निरीक्षण करते वाराणसी मंडल के डीआरएम आशीष जैन.

अमृत भारत स्टेशन योजना के कार्यों की समीक्षा : निरीक्षण के दौरान अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत सीवान जंक्शन पर चल रहे विकास कार्यों की भी समीक्षा की गयी. डीआरएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया. उन्होंने छठ के दौरान ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को ट्रेनों की आवाजाही की नियमित जानकारी प्रसारित करने को कहा, ताकि यात्रियों को ट्रेन संबंधी सूचना के लिए परेशान नहीं होना पड़े.

रेलवे कॉलोनी में सुविधाओं का लिया जायजा : स्टेशन निरीक्षण के बाद डीआरएम ने सीवान रेलवे कॉलोनी का भी जायजा लिया. यहां रेलकर्मियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली. कॉलोनी में नवनिर्मित पार्क का निरीक्षण करते हुए उसके बेहतर रखरखाव और सौंदर्यीकरण के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये. इस दौरान वरिष्ठ मंडल इंजीनियर (समन्वय) विकास कुमार सिंह, वरिष्ठ मंडल इंजीनियर द्वितीय ब्रह्मानन्द, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक प्रशस्ति श्रीवास्तव, वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर कुंवर सिंह यादव, वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर अभिषेक राय, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक बालेन्द्र पाल, वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त पंकज चुघ, सहायक मंडल इंजीनियर (सीवान) आशुतोष पाण्डेय सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे.

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक !
punjab national bank ...the name you can BANK upon !

अंचल कार्यालय -SAM चम्पारण, उज्जवल कॉमप्लेक्स, चाँदमारी चौक, मोतिहारी-845401, ई-मेल : cochamprecovery@pnb.bank.in

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना (ई नीलामी बिक्री सूचना)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 (1) के तहत पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल संपत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी सूचना. एतद द्वारा सामान्य रूप से आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) एवं बंधककर्ता(ओं)/जमानतदार (ओं) को सूचना दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियों को संरक्षित / सुरक्षित लेनदार को बंधक/प्रभारित किया गया है, जिसका रचनात्मक /भौतिक/सांकेतिक (जो भी लागू हो) जिसका कब्जा बैंक के अधिकृत अधिकारी /प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिया गया है. संबंधित उधारकर्ता(ओं) और जमानतदा(रों) से बैंक /सुरक्षित लेनदार होने के कारण अपनी बकाया राशि की वसूली के लिए नीचे दिये तालिका में उल्लेखित तिथि पर ''जहां भी है'', ''जैसा भी है'', ''जो कुछ भी है'' और ''जिस अवस्था में है'' के आधार पर बेचा जाएगा. सुरक्षित मूल्य और अग्रधन जमा राशि संबंधित संपत्तियों के सामने नीचे दिये गये तालिका में उल्लेखित है.

सुरक्षित संपत्तियों की अनुसूची
ई नीलामी की तिथि : 26.11.2026 (ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि: 26.11.2026 पूर्वाह्न 12.00 बजे तक)

क्रम सं0	शाखा का नाम / खाता का नाम / नाम एवं पता उधारकर्ता/ गारंटर के खाते का	बंधक रखी गई अचल संपत्तियों का विवरण/स्वामी का नाम [संपत्ति(यों) के बंधककर्ता]-	ए) मांग सूचना कि तिथि U/S 13(2) बी) बकाया राशि 13(2) नोटिस तिथि को सी) कब्जा तिथि U/S 13(4) डी) कब्जे की प्रकृति- प्रतिकात्मक/भौतिक/ रचनात्मक	ए)सुरक्षित मूल्य- बी) ईएमडी सी) बीड वृद्धि की राशि	ई-नीलामी की तिथि/समय	भार का विवरण- सुरक्षित लेनदार
1	**पीएनबी-सिवान स्टेशन रोड** **मेसर्स गुप्ता जेनरल स्टोर** 9912008700000318, 9912001L00000101 **मेसर्स गुप्ता जेनरल स्टोर,** ग्राम-उखई पूरबपट्टी, थाना-पचरूखी, जिला-सिवान-841226. **ओम प्रकाश गुप्ता,** पिता-श्री चन्द्रिका प्रसाद, ग्राम-उखई पूरबपट्टी, थाना-पचरूखी, जिला-सिवान-841226. **श्रीमती तारा देवी** पति-ओम प्रकाश गुप्ता ग्राम-उखई पूरबपट्टी, थाना-पचरूखी, जिला-सिवान, 841226.	भूमि एवं भवन जिसका सेल डीड नं0-3762, दिनांक 10.04.2015, खाता नं0-232, खेसरा नं0-2729, थाना नं0-341, तौजी नं0-998, क्षेत्रफल-4.65 डिसमिल या 1 कट्ठा 5 धुर, मौजा-उखई पूरबपट्टी, थाना-पचरूखी, जिला-सिवान. **चौहद्दी** : उत्तर-नम्बर हाजा बैदार चनमतिया देवी, दक्षिण-नम्बर हाजा निज पट्टीदार, पूरब-विशेसर साह, पश्चिम-पीसीसी रास्ता **बंधककर्ता** : तारा देवी पति-ओम प्रकाश गुप्ता	ए) 03.08.2022 बी) रू0 521025.46/- 03.08.2022 को+ आगे ब्याज एवं अन्य शुल्क पूर्ण भुगतान तक सी) 10.11.2022 डी) प्रतिकात्मक	ए) रू0 2266400/- बी) रू0 226640 /- सी) रू0 20000/-	26.11.2026 पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक	पंजाब नेशनल बैंक , सिवान स्टेशन रोड, शाखा (991200)

नियम व शर्तें : बिक्री सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन होगा और निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा.
1. संपत्तियां ''जहां भी है'', ''जैसा भी है'', ''जो कुछ भी है'' और ''जिस अवस्था में है'' के आधार पर बेची जा रही हैं.
2. उपरोक्त अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा.
3. बिक्री वेबसाइट https://BAANKNET.COM पर उपलब्ध कराए गए ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से **26.11.2026 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक** अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जाएगी और सुरक्षित लेनदार द्वारा पुष्टि की जायेगी.
4. बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया Website https://baanknet.com & www.pnbindia.in पर जाएं.

स्थान-मोतिहारी
दिनांक : 04.11.2026

श्री रंजीत कुमार
प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक (सुरक्षित लेनदार)

STATUTORY 15 DAYS SALE NOTICE UNDER RULE 9(1) OF THE SARFAESI ACT, 2002

नगर पंचायत के नौ छठ घाट हुए चकाचक ग्रामीण घाटों पर अब भी गंदगी का अंबार

- शहरी घाटों की सफाई पूरी, रंगाई और सजावट का काम जारी

बड़हरिया. दीपावली के बाद अब लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की तैयारियां तेज हो गयी हैं. छठ व्रती और श्रद्धालु जहां अपने स्तर से छठघाटों की साफ-सफाई में जुटे हैं, वहीं प्रशासन भी घाटों को व्यवस्थित करने की तैयारी कर रहा है. बड़हरिया नगर पंचायत क्षेत्र के सभी नौ छठघाटों की सफाई का कार्य लगभग पूरा हो चुका है. अब घाटों की रंगाई और सजावट का काम चल रहा है.

इस संबंध में कार्यपालक पदाधिकारी सुश्री प्रेमशीला ने बताया कि नगर पंचायत के सभी नौ छठघाटों की सफाई लगभग पूरी कर ली गयी है. छठघाटों की रंगाई का कार्य जारी है. छठ पूजा के अवसर पर घाटों को आकर्षक ढंग से सजाने के साथ रोशनी की भी समुचित व्यवस्था की जायेगी, ताकि व्रतियों और श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी नहीं हो. दूसरी ओर, ग्रामीण अंचलों के छठघाटों की स्थिति संतोषजनक नहीं है. प्रखंड के कुछ घाटों पर सफाई का कार्य शुरू हुआ है, जबकि कई घाटों पर अब भी गंदगी का अंबार लगा हुआ है. दाहा नदी पर स्थित औराईं दक्षिण घाट, औराईं उत्तर घाट और औराईं गोला घाट प्रमुख छठघाटों में शामिल हैं. इनमें औराईं गोला घाट की स्थिति सबसे बदहाल है. घाट तक पहुंचने वाले रास्ते से लेकर पूरे परिसर में गंदगी फैली हुई है. वहीं, घाट की स्थिति भी जर्जर बनी हुई है. इसके अलावा दाहा नदी पर स्थित पकड़ी और नबीगंज छठघाटों की सफाई का कार्य भी अब तक शुरू नहीं हो सका है. हालांकि, ग्रामीणों को उम्मीद है कि छठ पूजा नजदीक आने के साथ ही संबंधित घाटों की सफाई और रंगाई का कार्य पूरा करा लिया जायेगा.



यमुनागढ़ का देवी मंदिर छठ घाट.



औराईं गोला छठ घाट पर लगा गंदगी का अंबार.

पड़वा गांव के मोहिबुल्लाह अंसारी बने शिवहर के एसपी

सीवान. जिले के बड़हरिया प्रखंड के पड़वा गांव निवासी मोहिबुल्लाह अंसारी ने मेहनत और लगन से सफलता की नयी कहानी लिखी है. कभी प्री-बोर्ड परीक्षा में असफल होने वाले मोहिबुल्लाह आज भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं. बिहार सरकार ने उन्हें शिवहर जिले का नया पुलिस अधीक्षक बनाया है. वर्ष 2021 बैच के बिहार कैडर के पुलिस अधिकारी मोहिबुल्लाह का सफर संघर्षपूर्ण रहा है. स्कूली पढ़ाई के दौरान प्री-बोर्ड परीक्षा में असफल होने पर उन्हें परिवार की नाराजगी और लोगों के ताने भी सुनने पड़े. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और मेहनत के दम पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली में दाखिला हासिल किया. इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक बड़ी कंपनी में नौकरी की. हालांकि, देश की सेवा करने का जुनून उन्हें सिविल सेवा की ओर ले गया. उन्होंने नौकरी छोड़कर संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी शुरू की और सफलता हासिल कर भारतीय पुलिस सेवा में चयनित हुए. मुजफ्फरपुर में नगर पुलिस अधीक्षक के रूप में काम करने के दौरान उनके कार्यों को लेकर उन्हें अमेरिका के फ्लोरिडा में 13 दिसंबर को आयोजित विश्व मेला एवं महोत्सव में एशियन हीरो पुरस्कार 2026 के लिए आमंत्रित किया गया है.

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक !
punjab national bank ...the name you can BANK upon !

शाखा : सिवान, स्टेशन रोड, अंचल कार्यालय : चम्पारण, SAM विभाग, उज्जवल काम्पलेक्स, चाँदमारी चौक, मोतिहारी, cochamprecovery@pnb.co.in

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना (ई नीलामी बिक्री सूचना)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के तहत पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल संपत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी सूचना. एतद द्वारा सामान्य रूप से आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) एवं बंधककर्ता(ओं)/जमानतदार (ओं) को सूचना दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियों को संरक्षित / सुरक्षित लेनदार को बंधक/प्रभारित किया गया है, जिसका रचनात्मक /भौतिक/सांकेतिक (जो भी लागू हो) जिसका कब्जा बैंक के अधिकृत अधिकारी /प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिया गया है. संबंधित उधारकर्ता(ओं) और जमानतदा(रों) से बैंक /सुरक्षित लेनदार होने के कारण अपनी बकाया राशि की वसूली के लिए नीचे दिये तालिका में उल्लेखित तिथि पर ''जहां भी है'', ''जैसा भी है'', ''जो कुछ भी है'' और ''जिस अवस्था में है'' के आधार पर बेचा जाएगा. सुरक्षित मूल्य और अग्रधन जमा राशि संबंधित संपत्तियों के सामने नीचे दिये गये तालिका में उल्लेखित है.

सुरक्षित संपत्तियों की अनुसूची
ई नीलामी की तिथि : 2611.2026 (ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि: 26.11.2026 पूर्वाह्न 12.00 बजे तक)

क्रम सं0	शाखा का नाम / खाता का नाम एवं संख्या / नाम एवं पता उधारकर्ता/ गारंटर के खाते का	बंधक रखी गई अचल संपत्तियों का विवरण/स्वामी का नाम [संपत्ति(यों) के बंधककर्ता]-	ए) मांग सूचना कि तिथि U/S 13(2) बी) बकाया राशि 13(2) नोटिस तिथि को सी) कब्जा तिथि U/S 13(4) डी) कब्जे की प्रकृति- प्रतिकात्मक/भौतिक/रचनात्मक	ए)सुरक्षित मूल्य- बी) ईएमडी सी) बीड वृद्धि की राशि	ई-नीलामी की तिथि/समय	भार का विवरण- सुरक्षित लेनदार
1	**पीएनबी-सिवान, स्टेशन रोड** **मे0 कल्याणी वस्त्रालय** 9912008700000293 **मे0 कल्याणी वस्त्रालय** (प्रोपराईटर श्री विकाश कुमार) शहीद सरई मार्केट, सिवान-841226 **श्री विकास कुमार,** पिता-श्री विजय कुमार, वार्ड नं0-30,दीनदयाल नगर, तुरहा टोला, सिवान-841226 **नीला देवी** पति-श्री विजय कुमार (गारंटर), वार्ड नं0-30, दीनदयाल नगर, तुरहा टोला, सिवान-841226.	भूमि और भवन जिसका 1. सेल डीड नं0-1558, दिनांक-01.02.2003, खाता/होल्डिंग नं0-169, थाना नं0-231, वार्ड नं0-14 (नया), 20 (पुराना), क्षेत्रफल-2.25 धूर, चौहद्दी :- उत्तर-निज नं0 हाजा, दक्षिण-नं0 हाजा हाल वैदर (पीसीसी रोड), पूरब-परती, पश्चिम-लालमुनी देवी. 2. सेल डीड नं0-1559, दिनांक 01.02.2003, क्षेत्रफल-2.25 धूर, चौहद्दी :- उत्तर-नं0 हाजा हाल वैदार (पीसीसी रोड), दक्षिण-मोहन जी, पूरब-परती, पश्चिम-लालमुनी देवी, मौजा-दीनदयाल नगर, थाना+अंचल-सिवान, जिला-सिवान. **स्वामी** : श्रीमती नीला देवी पति- विजय कुमार.	ए) 16.06.2021 बी) रू0 787515/- + पूर्ण भुगतान होने तक अतिरिक्त ब्याज एवं अन्य शुल्क सी) 26.11.2021 डी) प्रतिकात्मक	ए) रू0 1460900,/- बी) रू0 146090 /- सी) रू0 20000/-	26.11.2026 पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक	पंजाब नेशनल बैंक, सिवान स्टेशन रोड, शाखा (991200)

नियम व शर्तें : बिक्री सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन होगा और निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा.
1. संपत्तियां ''जहां भी है'', ''जैसा भी है'', ''जो कुछ भी है'' और ''जिस अवस्था में है'' के आधार पर बेची जा रही हैं.
2. उपरोक्त अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा.
3. बिक्री वेबसाइट https://BAANKNET.COM पर उपलब्ध कराए गए ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से **26.11.2026 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक** अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जाएगी और सुरक्षित लेनदार द्वारा पुष्टि की जायेगी.
4. बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया Website https://baanknet.com & www.pnbindia.in पर जाएं.

स्थान-मोतिहारी
दिनांक : 04.11.2026

श्री रंजीत कुमार
प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक (सुरक्षित लेनदार)

STATUTORY 15 DAYS SALE NOTICE UNDER RULE 9(1) OF THE SARFAESI ACT, 2002